न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	258/2022 पुलिस थाना कोतवाली चूरू
सेशन प्रकरण संख्या	–	100/2023 राज्य/दयाराम वगैरह धारा 307, 341, 324, 323, 34 भादंसं
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	–	57/2026
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010002332026

दयाराम पुत्र प्रतापसिंह उम्र 38 साल निवासी नेठराणा पीएस गोगामेड़ी जिला हनुमानगढ।

– प्रार्थी/अभियुक्त

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, चूरू – अप्रार्थी

द्वित्तीय जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता

उपस्थित :–

1.श्री असीम खान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त।
2.श्री रोशनसिंह राठौड़ लोक अभियोजक।

– : आ दे श : – दिनांक – 07 मार्च, 2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत का द्वित्तीय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की है। प्रार्थना पत्र की नकल विद्वान लोक अभियेाजक को दिलवाई गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

2. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस जमानत आवेदन पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से निवेदन किया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का मामला प्रकरण के सह–अभियुक्तगण से भिन्न व अधिक नहीं है। प्रकरण में सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। यह बहस भी रही है कि प्रकरण पूर्व में बयान मुलजिम के स्तर पर नियत

थी किन्तु अभियुक्त अल्ताफ के आने से पुनः साक्ष्य अभियोजन के स्तर पर आ गई है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 15.04.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में चला आ रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

3. जबकि विद्वान लोक अभियोजक ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रकरण का मुख्य अभियुक्त है जिसके विरूद्ध धारा 307 भारतीय के अपराध का गम्भीर आरोप है। पूर्व में प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। जिसके बाद प्रकरण की परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त पर गम्भीर प्रकृति का आरोप है। प्रार्थी /अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक विवरण–

क्र.सं.	प्रकरण का विवरण	धारा	नतीजा
1.	FIR No.65/2019 पीएस गोगामेड़ी (हनुमानगढ)	धारा 302,498 ए,34 भादंसं	न्यायालय में लम्बित

5. बहस पर विचार किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.09.2022 जेल प्रहरी नरेश कुमार जिला कारागृह चूरू द्वारा एक रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली, चूरू में इन तथ्यों की प्रस्तुत कर दर्ज करवाई गई कि दिनांक 19.09.2022 को समय लगभग 03.45 पीएम पर विचाराधीन बन्दी दयाराम, अल्ताफ एवं नरपाल सिंह ने बैरिक नम्बर 2 में टीवी देख रहे बन्दी महेन्द्र सिंह, बलविन्द्र सिंह, हरप्रितसिंह को टीवी पर पंजाबी चैनल बदलकर हिन्दी चैनल लगाने पर अल्ताफ, नरपाल व दयाराम द्वारा बन्दी बलविन्द्र सिंह से मुहजौरी करते हुए दयाराम ने हाथ में छिपा कर रखी जिलेट गार्ड की तोड़कर निकाली गई ब्लैड से बन्दी बलविन्द्र सिंह के गर्दन व पेट पर, महेन्द्र सिंह के दाहिने कान व गर्दन पर तथा हरप्रितसिंह जो मदद करने आया, के दाहिने कन्धे पर ब्लैड की हल्की चोट और बांये हाथ के बाजू पर दाँत से काट लिया। इत्यादी तथ्यों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर नियमित अनुसन्धान के बाद प्रार्थी/अभियुक्त सहित अन्य तीन अभियुक्तगण अल्ताफ, नरपाल व शाहरूख उर्फ मन्त्री के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 307, 341, 323/34, 324/34

भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

6. इस प्रकरण में सह–अभियुक्तगण नरपाल व शाहरूख उर्फ मन्त्री की जमानत का प्रार्थना पत्र दिनांक 12.05.2023 को एवं सह–अभियुक्त अल्ताफ की जमानत का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.06.2023 को निस्तारण करते समय पूर्व के जमानत प्रार्थना पत्रों के आदेश में यह उल्लेख है कि प्रार्थी /अभियुक्त का केस सह–अभियुक्तगण से भिन्न है। वर्तमान में यह प्रकरण साक्ष्य अभियोजन के प्रक्रम में लम्बित होकर प्रकरण में अब तक कुल 22 गवाहान के बयान लिए जा चुके है। न्यायालय प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रयासरत है। अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.12.2025 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उक्त जमानत प्रार्थना पत्र के निस्तारण के समय से वर्तमान समय तक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में किसी प्रकार का कोई महत्वपूर्ण या विशेष परिवर्तन नहीं आया है। केवल मात्र सह–अभियुक्तगण की जमानत हो जाने से प्रार्थी/अभियुक्त जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता, विशेषकर तब जब, प्रार्थी/अभियुक्त का कृत्य उनसे भिन्न हो।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय **एक्स बनाम राजस्थान राज्य** SPECIAL LEAVE PETITION (CRIMINAL) NO. 13378 OF 2024 27 नवम्बर 2024

14. Ordinarily in serious offences like rape, murder, dacoity, etc., once the trial commences and the prosecution starts examining its witnesses, the Court, be it the Trial Court or the High Court should loath in entertaining the bail application of the accused.

15. Over a period of time, we have noticed two things, i.e., (I) either bail is granted after the charge is framed and just before the victim is to be examined by the prosecution before the trial court, or (ii) bail is granted once the recording of the oral evidence of the victim is complete by looking into some discrepancies here or there in the deposition and thereby testing the credibility of the victim.

16. We are of the view that the aforesaid is not a correct practice that the Courts below should adopt. Once the trial commences, it should be allowed to reach to its final conclusion which may either result in the conviction of the accused or acquittal of the accused. The moment the High Court exercises its discretion in favour of the accused and orders release of the accused on bail by looking into the deposition of the victim, it will have its own impact on the pending trial when it comes to appreciating the oral evidence of the victim. It is only in the event if the trial gets unduly delayed and that too for no fault on the part of the accused, the Court may be justified in ordering his release on

bail on the ground that right of the accused to have a speedy trial has been infringed.

8. प्रकरण में केवल अनुसन्धानकर्ता की साक्ष्य लेखबद्ध होना शेष है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायालय प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय की रोशनी में अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गम्भीरता, मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं पूर्व के आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी न करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

– : <u>आ दे श</u> : –

9. अतः प्रार्थी/अभियुक्त दयाराम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सोनिका पुरोहित)
सेशन्स न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

10. आदेश आज दिनांक 07 मार्च, 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
सेशन्स न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)